भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्याः 1295/ई–निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/उ0सि0नं0/2019–20, दिनांकः 23 सितम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 001_USN_Dabhaura Ahtmaili_Kashipur_1.403ha/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 02 अगस्त, 2018 के द्वारा जनपद के स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति, जो कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के लिए जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम दभौरा एहतमाली, क्षेत्रफल 1.403 है0 कोसी नदी में मैदानी क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी।

2– उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई–निविदा दिनांक 24.08.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 46299 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 23149.50 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 31.08.2018 को खोली गयी।

3– उक्त लॉट हेतु दिनांक 24.08.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई–निविदा में 16 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 28.08.2018 को घोषित किया गया, जिसमें पाया गया कि निविदाकार हरियाली बीज भण्डार, जोकि फर्म है, को त्रुटिवश स्वीकृत किया गया। इस कार्यालय के आदेश संख्या 437/ई–निवि0सह ई0नीला0/उ0सि0नगर/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 29 अगस्त, 2018 के द्वारा हरियाली बीज भण्डार (बिडर आई0डी0–47722, पंजीकरण संख्या–M180630171254607) की निविदा को फर्म होने के कारण अस्वीकृत करते हुए जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम दभौरा एहतमाली, क्षेत्रफल 1.403 है0 हेतु तकनीकी निविदा का संशोधन परिणाम uktender.gov.in पर अपलोड किया गया। समिति द्वारा 03 निविदाकारों क्रमशः हरियाली बीज भण्डार (बिडर आई0डी0–47722, पंजीकरण संख्या–M180630171254607) फर्म के नाम से आवेदन होने के कारण, मै0 रामा कन्स्ट्रक्शन (बिडर आई0डी0–47887, पंजीकरण संख्या–M180627172239920) एवं श्री नितिन कुमार (बिडर आई0डी0–47897, पंजीकरण संख्या–M180507111854450) का हैसियत निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने के कारण उनकी प्रथम चरण की ई–निविदा को अस्वीकृत करते हुए शेष 13 निविदाकारों की तकनीकी बोली को स्वीकृत करते हुए वित्तीय ई–निविदा बोली दिनांक 31.08.2018 को खोली गयी। प्राप्त ई–निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है:–

तालिका– 1

क0सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री अजीत सिंह	M171219145919560	46,299 टन
2.	श्री अरूण कुमार गोयल	M180505145759907	46,299 टन
3.	मै0 मंशा देवी	M180507163251797	46,299 टन
4	श्री विनोद कुमार खत्री	M180821120504770	46,299 टन
5	मै0 गोविन्द कुमार गोयल	M180623134149093	46,299 टन
6	श्री गुरूजीत सिंह कॉन्ट्रेक्टर	M180628183048730	46,299 टन
7	श्री संजय कुमार	M180404164827877	46,299 टन
8	श्री राजेन्द्र सिंह	M180112154356660	46,299 टन
9	श्रीमती शीतल अग्रवाल	M180306150206190	46,299 टन
10	श्री जोगेन्द्र सिंह	M180628183428537	46,299 टन
11	श्री मोबीन अहमद	M180505145107943	46,299 टन
12	श्री गोपाल सिंह बिष्ट	M180115133254273	46,299 टन
13	श्री अवतार सिंह	M180627172407113	46,299 टन

जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम दभौरा एहतमाली, क्षेत्रफल 1.403 है0 कोसी नदी में मैदानी क्षेत्रान्तर्गत हेतु प्रथम चरण में ई–निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम–11(5) के अनुसार 46,299 टन प्राप्त हुई।

जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम दभौरा एहतमाली, क्षेत्रफल 1.403 है0 कोसी नदी में मैदानी क्षेत्रान्तर्गत हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम–11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई–नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 46,299 x 80.00 = रू0 37,03,920.00 (रू0 सैंतीस लाख तीन हजार नौ सौ बीस मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 441/ई0निवि0सहई0नीला0/परिणाम/उधमसिंहनगर/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 01 सितम्बर, 2018 के द्वारा जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम दभौरा एहतमाली, क्षेत्रफल 1.403 है0 कोसी नदी में मैदानी क्षेत्रान्तर्गत हेतु समिति की संस्तुति पर प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई–नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) रू0 37,03,920.00 (रू0 सैंतीस लाख तीन हजार नौ सौ बीस मात्र) निर्धारित की गयी।

4– ई–निविदा सह ई–नीलामी के द्वितीय चरण (ई–नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई–निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 001_USN_Dabhaura Ahtmaili_Kashipur_1.403ha/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 12 सितम्बर, 2018 के माध्यम से ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई–मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5– ई–निविदा सह ई–नीलामी के द्वितीय चरण (ई–नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 20.09.2018 सायं 5:00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा https://eauction.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये है।

6– उपरोक्तानुसार 12 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई–निविदा सह ई–नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 506/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/2017–18, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई–नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई–नीलामी प्रकिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए है :–

क0सं0	बिडर मास्क्ड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0
1	20181456014145	24 सितम्बर, 2018 सायं 02:34 बजे	20167311.00
2	20181456012028	24 सितम्बर, 2018 सायं 03:28 बजे	25019289.00
3	20181456013878	24 सितम्बर, 2018 अपराह्न 01:03 बजे	10167051.00
4	20181456013890	24 सितम्बर, 2018 प्रातः 11:52 बजे	8926278.00
5	20181456013342	24 सितम्बर, 2018 सायं 03:07 बजे	23667402.00
6	20181456014208	24 सितम्बर, 2018 अपराह्न 01:41 बजे	13500471.00
7	20181456013693	24 सितम्बर, 2018 प्रातः 11:48 बजे	8907759.00
8	20181456013309	24 सितम्बर, 2018 सायं 02:23 बजे	18908019.00
9	20181456014276	24 सितम्बर, 2018 सायं 03:23 बजे	24741504.00
10	20181456012004	24 सितम्बर, 2018 अपराह्न 01:14 बजे	10685583.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 10 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली रू0 2,50,19,289.00 (रू0 दो करोड पचास लाख उन्नीस हजार दो सौ नवासी मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7– ई– ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की माक्स्ड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2268/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0 /2018–19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के द्वारा की गई :–

क0 सं0	ई–ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर माक्स्ड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं0)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू0	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181456012028/ Sanjay Kumar (M180404164827877)	24 सितम्बर, 2018 सायं 03:28 बजे	25019289.00	H1
2	20181456014276/ Ms Mansa Devi (M180507163251797)	24 सितम्बर, 2018 सायं 03:23 बजे	24741504.00	H2
3	20181456013342/ Mobeen Ahmad (M180505145107943)	24 सितम्बर, 2018 सायं 03:07 बजे	23667402.00	H3
4	20181456014145/ Vinod Kumar Khatri (M180821120504770)	24 सितम्बर, 2018 सायं 02:34 बजे	20167311.00	H4
5	20181456013309/ Ajeet Singh (M171219145919560)	24 सितम्बर, 2018 सायं 02:23 बजे	18908019.00	H5
6	20181456014208/ Jogendra Singh (M180628183428537)	24 सितम्बर, 2018 अपराह्न 01:41 बजे	13500471.00	H6
7	20181456012004/ Gopal Singh Bisht (M180115133254273)	24 सितम्बर, 2018 अपराह्न 01:14 बजे	10685583.00	H7
8	20181456013878/ Avtar Singh (M180627172407113)	24 सितम्बर, 2018 अपराह्न 01:03 बजे	10167051.00	H8
9	20181456013890/ Gurjeet Singh Contractor (M180628183048730)	24 सितम्बर, 2018 प्रातः 11:52 बजे	8926278.00	H9
10	20181456013693/ Arun Kumar Goel (M180505145759907)	24 सितम्बर, 2018 प्रातः 11:48 बजे	8907759.00	H10

8– कार्यालय ज्ञाप संख्या 2268/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0 /2018–19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 के द्वारा ई– ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3……….H10 घोषित किया गया।

09– कार्यालय ज्ञाप संख्या 2268/ई–निविदा सह ई–नीलामी/भू0खनि0ई0/2018–19, दिनांक 11 जनवरी, 2019 द्वारा श्री संजय कुमार (M180404164827877) को जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम दभौरा एहतमाली, क्षेत्रफल 1.403 है0 कोसी नदी में मैदानी क्षेत्रान्तर्गत उपखनिज क्षेत्र से कुल 46,299 टन उपखनिज की निकासी हेतु उनके द्वारा बोली गयी उच्चतम बोली की कुल धनराशि रू0 2,50,19,289.00 (रू0 दो करोड पचास लाख उन्नीस हजार दो सौ नवासी मात्र) को ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित करते हुए को सूचित किया गया कि वे उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात रू0 25,01,929.00 (रू0 पच्चीस लाख एक हजार नौ सौ उनतीस मात्र) एवं नियम– 28 ख (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक

धनराशि अर्थात रू0 25,01,929.00 (रू0 पच्चीस लाख एक हजार नौ सौ उनतीस मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके उपरान्त भी H1 बोलीदाता श्री संजय कुमार द्वारा उक्त धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा नहीं कराई गई है।

उक्त के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28क(2) के प्राविधानानुसार H1 ई–नीलामी बोलीदाता श्री संजय कुमार (M180404164827877) को भी उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) एवं नियम– 28ख(3) के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने पर कार्यालय ज्ञाप संख्या 372/ई–निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/उधमसिंहनगर/2019–20, 25 मई, 2019 के द्वारा असफल ई–नीलामी बोलीदाता घोषित किया गया तथा उनके द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा सिडिकेंट बैक द्वारा जारी एफ0डी0आर0 सं0–400235, दिनांक 21.08.2018 रू0 9,25,980.00 (रू0 नौ लाख पच्चीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष मे जब्त किया गया तथा नियमावली के नियम 28 क (2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई–नीलामी बोलीदाता H2 श्रीमती मंशा देवी (M180507163251797) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार तीन दिन के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली रू0 2,47,41,504.00 (रू0 दो करोड सैंतालीस लाख इकतालीस हजार पांच सौ चार मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि सफल बोलीदाता धनराशि अर्थात रू0 24,74,150.00 (रू0 चौबीस लाख चौहत्तर हजार एक सौ पचास मात्र) एवं नियम– 28 ख (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि अर्थात रू0 24,74,150.00 (रू0 चौबीस लाख चौहत्तर हजार एक सौ पचास मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में जमा किये जाने हेतु अवसर प्रदान किया गया है।

10– अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या– 1, 2, 3, 4 में निम्न प्राविधान है :–

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय **payment gate way** के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. **H1** के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए कोटिक्रम में द्वितीय ई–नीलामी बोलीदाता **H2** को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई–नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए ई–नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त अगले स्तर हेतु पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई–नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्यदिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरानत प्रोस्पेक्टिंव पट्टाधारक अर्थात ऐसा सफल ई–नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।
4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता **H1** द्वारा प्रस्तर (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित **H2** व कोटिक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग द्वितीय चरण के बिन्दु संख्या–5 के प्राविधानानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 372/ई–निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/उधमसिंहनगर/2019–20, 25 मई, 2019 के द्वारा श्रीमती मंशा देवी को अधिकतम ई–नीलामी बोली रू0 2,47,41,504.00 (रू0 दो करोड सैंतालीस लाख इकतालीस हजार पांच सौ चार मात्र) के सापेक्ष H2 ई–नीलामी बोलीदाता घोषित है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 372/ई–निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/उधमसिंहनगर/2019–20, 25 मई, 2019 के क्रम में श्रीमती मंशा देवी H2 ई–नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई–नीलामी बोली रू0 2,47,41,504.00 (रू0

दो करोड सैंतालीस लाख इकतालीस हजार पांच सौ चार मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 24,74,150.00 (रू0 चौबीस लाख चौहत्तर हजार एक सौ पचास मात्र) एवं नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 24,74,150.00 (रू0 चौबीस लाख चौहत्तर हजार एक सौ पचास मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्रीमती मंशा देवी H2 निविदादाता को असफल ई–नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार H2 ई–नीलामी बोलीदाता द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी पंजाब नेशनल बैक, काशीपुर द्वारा जारी एफ0डी0आर0 संख्या–026200PU00041921, दिनांक 21.08.18 रू0 9,25,980.00 (रू0 नौ लाख पच्चीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) को निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार कोटिक्रम में तृतीय ई–नीलामी बोलीदाता H3 श्री मोबिन अहमद द्वारा बोली गयी अधिकतम उच्चतम बोली रू0 2,36,67,402.00 (रू0 दो करोड छत्तीस लाख सडसठ हजार चार सौ दो मात्र) का दस प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 23,66,740.00 (रू0 तेईस लाख छियासठ हजार सात सौ चालीस मात्र) तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत तथा दस प्रतिशत धनराशि रू0 23,66,740.00 (रू0 तेईस लाख छियासठ हजार सात सौ चालीस मात्र) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक" के सापेक्ष सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान किया जाता है।

आदेश

कार्यालय ज्ञाप संख्या 372/ई–निवि0सह0ई0नीला0/भू0खनि0ई0/उधमसिंहनगर/2019–20, 25 मई, 2019 के क्रम में श्रीमती मंशा देवी H2 ई–नीलामी बोलीदाता द्वारा ई0 निविदा में बोली गई उच्चतम ई–नीलामी बोली रू0 2,47,41,504.00 (रू0 दो करोड सैंतालीस लाख इकतालीस हजार पांच सौ चार मात्र) के सापेक्ष नियमावली के नियम 28(क)(1) के प्राविधानानुसार 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 24,74,150.00 (रू0 चौबीस लाख चौहत्तर हजार एक सौ पचास मात्र) नियमावली के नियम 28(क)(3) के प्राविधानानुसार तथा 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 24,74,150.00 (रू0 चौबीस लाख चौहत्तर हजार एक सौ पचास मात्र) निर्धारित समयान्तर्गत जमा नहीं कराये जाने के दृष्टिगत नियमावली के नियम 28(क)(2) के प्राविधानानुसार श्रीमती मंशा देवी H2 निविदादाता के रूप में असफल ई–नीलामी बोलीदाता घोषित करते हुए उक्त नियम के प्राविधानानुसार श्रीमती मंशा देवी H2 ई–नीलामी बोलीदाता द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा पंजाब नेशनल बैक, काशीपुर द्वारा जारी एफ0डी0आर0 संख्या–026200PU00041921, दिनांक 21.08.18 रू0 9,25,980.00 (रू0 नौ लाख पच्चीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) को निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त किया जाता है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28(क)(2) में किये गये प्राविधानानुसार कोटिक्रम में द्वितीय ई–नीलामी बोलीदाता H3 श्री मोबिन अहमद (M180505145107943) द्वारा बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली रू0 2,36,67,402.00 (रू0 दो करोड छत्तीस लाख सडसठ हजार चार सौ दो मात्र) के सापेक्ष सफल ई–नीलामी बोलीदाता घोषित किया जाता है तथा तदनुसार श्री मोबिन अहमद को निर्देशित किया जाता है कि वे नियमावली के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या – 1, 2, 3 व 4 के अधीन निम्नवत वांछित धनराशि एंव आवश्यक अभिलेख निर्धारित तिथि एंव समय के अन्तर्गत जमा कराना सुनिश्चित करेंगें:–

1. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (1) के अधीन वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि रू0 2,36,67,402.00 (रू0 दो करोड छत्तीस लाख सडसठ हजार चार सौ दो मात्र) का 10 प्रतिशत "सफल बोलीदाता धनराशि" रू0 23,66,740.00 (रू0 तेईस लाख छियासठ हजार सात सौ चालीस मात्र) आदेश प्राप्ति के 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853–अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा करते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियां कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें तदोपरान्त ही आपको सफल बोलीदाता माना जा सकेगा।
2. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि रू0 2,36,67,402.00 (रू0 दो करोड छत्तीस लाख सडसठ हजार चार सौ दो मात्र) का 10 प्रतिशत "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" रू0 23,66,740.00 (रू0 तेईस लाख छियासठ हजार सात सौ चालीस मात्र) सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक "0853–अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग" में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें, तदोपरान्त ही आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जा सकेगा तथा तदोपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

3. उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (2) के प्राविधानुसार ई–नीलामी बोलीदाता H2 अर्थात् आपके द्वारा भी यदि वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि रू0 2,36,67,402.00 (रू0 दो करोड छत्तीस लाख सडसठ हजार चार सौ दो मात्र) का 10 प्रतिशत ''सफल बोलीदाता धनराशि'' रू0 23,66,740.00 (रू0 तेईस लाख छियासठ हजार सात सौ चालीस मात्र), 03 (तीन) दिन के अन्तर्गत तथा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) (3) के अधीन वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि रू0 2,36,67,402.00 (रू0 दो करोड छत्तीस लाख सडसठ हजार चार सौ दो मात्र) का 10 प्रतिशत ''प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि'' रू0 23,66,740.00 (रू0 तेईस लाख छियासठ हजार सात सौ चालीस मात्र) सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखा शीर्षक ''0853–अलौह खनिज एवं धातुकर्म उद्योग'' में जमा नही किया जाता है तो आपको भी असफल घोषित करते हुए आप द्वारा निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक/जमा अर्नेस्ट मनी एक्सिस बैक द्वारा जारी डी0डी0 संख्या–017154, दिनांक 23.08.18 रू0 9,25,980.00 (रू0 नौ लाख पच्चीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) को निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई के पक्ष में जब्त करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

अतः श्री मोबीन अहमद पुत्र श्री नजाकत हुसैन, निवासी–मौ0 नेतानगर सुल्तानपुर, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर H3 (M180505145107943) ई–नीलामी बोलीदाता से अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक

संख्याः /ई–निवि0सह0ई–नीला0/भू0खनि0ई0/उ0सि0नं0/2019–20 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
3. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई, जनपद उधमसिंहनगर।
4. श्रीमती मंशा देवी पत्नी स्व0 श्री हरकिशन, निवासी–मौ0 कटरामलियान, तहसील काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर।
5. श्री मोबीन अहमद पुत्र श्री नजाकत हुसैन, निवासी–मौ0 नेतानगर सुल्तानपुर, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर।

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
निदेशक